FORM 21D

(See rule 64)

(For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of Representation of the People Act, 1951.

*Election to the Legislative Assembly of Uttarakhand State From 28-Bhagwanpur(SC) constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

Smt. Mamta Rakesh, Vill & P.O, Bhagwanpur (Address) ² [sponsored by Indian National Congress (name of recognized/registered political party)] has been duly elected to fill the vacancy caused seat in that House by the death of Shri Surendra Rakesh having been declared vacant..

Place- Haridwar Date- 15 April, 2015

Returning Officer
28-Bhagwanpur(SC)

^{*}Score out, if inappropriate.

प्रारूप 21घ

(नियम 64 देखिए)

(आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो।)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

28-भगवानपुर (अ०जा०) उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से (राज्य / संघ राज्यक्षेत्र) की विधान सभा के लिए उप निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि—

श्री /श्रीमती ममता राकेश, ग्राम व डा०, भगवानपुर (पता) ¹[जो <u>इंडियन नेशनल कॉग्रेस</u> (मान्यता प्राप्त / रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए / की गई।]

उस सदन में, श्री सुरेन्द्र राकेश की मृत्यु के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए / गई हैं।

स्थान— **हरिद्वार।** तारीख— **15 अप्रैल, 2015**

हरताक्षर रिटिनिंग आफिसर 28–भगवानपुर (अ0जा0)

^{*}जो समुचित न हो उसे काट दीजिए।